अध्याय - 8

आयुष शिक्षा

अध्याय 8: आयुष शिक्षा

प्रदेश में आयुष की शिक्षा आयुर्वेद के आठ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों[1], यूनानी के दो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों[2] और होम्योपैथी के नौ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों[3] के माध्यम से प्रदान की जाती है। इनमें से आयुर्वेद के पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों और होम्योपैथी के छः राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों स्नातक (स्नातक) पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे जबकि आयुर्वेद के तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों[4], यूनानी के दो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों और होम्योपैथी के तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों[5] स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। लेखापरीक्षा में बांदा (स्नातक) और पीलीभीत (स्नातकोत्तर) में स्थित आयुर्वेद के दो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों, मुरादाबाद (स्नातक) और प्रयागराज (स्नातकोत्तर) में स्थित होम्योपैथी के दो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों तथा लखनऊ में स्थित एक यूनानी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

8.1 आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षा

8.1.1 शिक्षण-संकायों की कमी

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से मान्यता प्राप्त करने के लिए, जैसा कि सम्बन्धित विनियमों में प्रावधानित है, न्यूनतम संख्या में शिक्षण संकायों की नियुक्ति आवश्यक है।

---

1 बांदा, बरेली, पीलीभीत, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ और मुजफ्फर नगर में स्थित

2 लखनऊ और प्रयागराज जनपदों में स्थित

3 प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, अलीगढ़ में स्थित

4 लखनऊ, पीलीभीत और वाराणसी में स्थित

5 कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में स्थित

स्नातक स्तर के लिए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हेतु न्यूनतम मानक आवश्यकता[6], 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए नियमित आधार पर न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षकों, जैसा कि ***परिशिष्ट-10*** में उल्लेखित है और 10[7] अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान; इस शर्त के साथ करता है कि शिक्षकों और उच्च संकायों की कमी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, 14 विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए और आयुर्वेद तथा यूनानी महाविद्यालयों के न्यूनतम 11 विभागों में उच्च संकायों की कुल संख्या 12 प्रोफ़ेसर/रीडर से कम नहीं होनी चाहिये| इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर[8] आयुर्वेद और यूनानी शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों के अंतर्गत स्नातक शिक्षण के लिए निर्धारित शिक्षकों के अतिरिक्त सम्बन्धित विषय के कम से कम एक प्रोफेसर/रीडर और एक लेक्चरर की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 75 स्नातक सीटों की प्रवेश क्षमता वाले राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों,बांदा (स्नातक) में केवल 14 पूर्णकालिक शिक्षक (53 प्रतिशत की कमी) थे; जिसमें से क्रिया शरीर और शालक्य विभागों में कोई शिक्षक नहीं थे, और 11 विभागों[9] में प्रत्येक में मात्र एक शिक्षक थे। इसके अतरिक्त, 15 संकायों में आवश्यकता के सापेक्ष केवल छः उच्च संकाय थे (60 प्रतिशत की कमी)।

- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत (स्नातकोत्तर), जिसमें 63 स्नातक सीटों और एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की आठ स्नातकोत्तर सीटों की प्रवेश क्षमता है, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए क्रमशः 30 और तीन नियमित शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 23 (23 प्रतिशत की कमी) और एक (67 प्रतिशत की कमी) शिक्षक थे, जिसमें शल्य तंत्र विभाग में कोई शिक्षक नहीं था। इसके अतरिक्त, 15 की आवश्यकता के सापेक्ष 14 उच्च संकाय (6.67 प्रतिशत की कमी) थे। इसी प्रकार, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,

---

[6] भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता) विनियम, 2016 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता) विनियम, 2016.

[7] आयुर्वेदिक महाविद्यालयों (स्नातक) के लिए: आधुनिक चिकित्सा के 8 शिक्षक, एक योग शिक्षक और एक बायोस्टैटिस्टिशियन; यूनानी महाविद्यालयों (स्नातक) के लिए: आधुनिक चिकित्सा के 8 शिक्षक, अरबी भाषा का एक शिक्षक और मंतिक-व-फलसफा का एक शिक्षक।

[8] भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016.

[9] रचना शरीर विभाग में 2 शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष एक अतिरिक्त शिक्षक थे।

लखनऊ (स्नातकोत्तर) में, जिसमें 75 स्नातक सीटें और सात स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों[10] की 35 स्नातकोत्तर सीटें थी, 30 नियमित शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 23 नियमित शिक्षक और 7 संविदा शिक्षक थे।

महानिदेशक, आयुष ने संकायों की कमी और न्यूनतम मानक आवश्यकता को पूर्ण न करने के कारण भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा कॉलेजों की प्रवेश क्षमता में कमी को स्वीकार किया (नवंबर 2024)। शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयँ एवं चिकित्सालयँ के सम्बन्ध में अतिथि संकायों की रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है, सभी आठ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयँ एवं चिकित्सालयँ में योग विशेषज्ञ नियुक्त कर दिये गये हैं, योग में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयँ एवं चिकित्सालयँ से संबद्ध किया गया है; और यूनानी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयँ एवं चिकित्सालयँ के सम्बन्ध में कहा कि रिक्तियों को सरकारी आदेशों के अनुसार अनुबंध के आधार पर भरा जाता है।

होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता[11] 100 सीटों तक की प्रवेश क्षमता वाले स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयँ के लिए न्यूनतम 42 शिक्षकों और आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक औषध विज्ञान, मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों और योग प्रशिक्षक के लिए अतिथि संकायों का प्रवधान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद, जिसकी प्रवेश क्षमता 125 स्नातक सीटों की थी, में केवल 22 शिक्षक (48 प्रतिशत की कमी) थे तथा कोई अतिथि संकाय नहीं था (भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार)।

- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज (स्नातकोत्तर) में, जिसकी प्रवेश क्षमता 125 स्नातक सीटों तथा 13 स्नातकोत्तर सीटों की थी, केवल 35 शिक्षक (17 प्रतिशत की कमी) थे।

---

[10] (1) तशरीह-उलबदन, (2) तहफ्फुज-व-समाजी तिब्ब, इल्म-उल-अद्विया, (3) इल्म-उल-सैदला, (4) मोआलिजात, (5) इल्म-उल-कबालात-व-अमराज़-ए-निसवान (7) इल्म-उल-जरहात

[11] राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता), विनियम-2022

इस प्रकार, उपर्युक्त महाविद्याल शिक्षकों तथा उच्च संकाय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता की आवश्यकताओं को पूरा किये बिना ही संचालित किये जा रहे थे।

आयुष महानिदेशक ने बताया (नवंबर 2024) कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चररों तथा प्रोफेसरों का चयन कर लिया गया है तथा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.1.2 चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक कर्मचारियों का असमान आवंटन

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों हेतु न्यूनतम मानक आवश्यकता, कॉलेज में विभिन्न तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता का प्रावधान करता है। यद्यपि, नियुक्तियां, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत संख्या के सापेक्ष की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन कॉलेजों में तकनीकी एवं सहायक कर्मचारियों का असमान आवंटन था, जैसा कि **चार्ट 6** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6: राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों (जीएमसीएच) में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सहायक कर्मचारियों की कमी

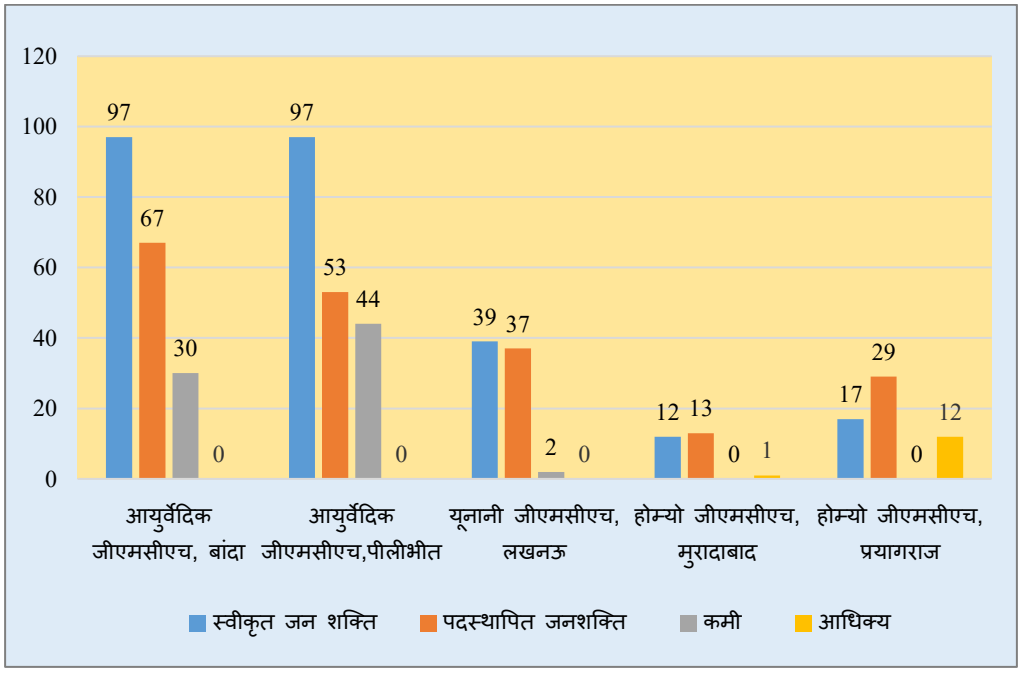

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

तकनीकी एवं सहायक कर्मचारियों के असमान आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षण चिकित्सालयों का संचालन उनके सम्बन्धित एमएसआर की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही हुआ।

शासन ने राजकीय आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की कमी को स्वीकार किया (जनवरी 2025) और कहा कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यद्यपि, शासन ने राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में कर्मचारियों की कमी के विषय में कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया।

8.2 आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में भौतिक अवसंरचना

बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (vii) (4) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था के साथ उचित समझौते/ समझौता ज्ञापन का निष्पादन सुनिश्चित करेगा। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड VI के पैराग्राफ 318 में प्रावधान है कि किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति इस बात का आश्वासन है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं, प्राक्कलन की सही ढंग से गणना की गयी है, और वह पर्याप्त आकड़ों पर आधारित हैं।

8.2.1 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय व संबद्ध भवनों के निर्माण में विलम्ब

शासन ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा, बांदा के निर्माण हेतु ₹ 2967.23 लाख की प्रराजकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2010)। कार्य को निर्माण और अभिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश (कार्यदायी संस्था) को बिना किसी समझौता ज्ञाप/समझौते[12] का निष्पादन किये, नामांकन के आधार[13] पर दे दिया गया (अक्टूबर 2010)।

प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (नवंबर 2010) की शर्तों के अनुसार, कार्य को 15 महीनो के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था, ताकि पूर्ण भवनों का उपयोग तुरन्त किया जा सके। तदनुसार, कार्यदायी संस्था के साथ आयोजित (जून 2011) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम और स्टाफ क्वार्टर तथा अन्य निर्माण कार्य क्रमशः प्रथम

[12] बजट मैनुअल के पैरा 212 (vii) (4) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व, सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था के साथ उचित समझौते/समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।

[13] बजट मैनुअल के पैरा 174 (13) (i) खुले और सार्वजनिक तरीके से प्रतिस्पर्धी निविदाएं प्राप्त किये बिना, उन मामलों को छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य या विशेष नियम या आदेश द्वारा ऐसी निविदाएं प्राप्त करने की आवश्यकता का अधित्याग कर दिया गया हो, अनुबंध करने को एक वित्तीय अनियमितता मानता है। मुख्य सतर्कता आयोग ने स्पष्ट किया है कि "निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंध को प्रदान करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि कोई अन्य विधि, विशेष रूप से नामांकन के आधार पर अनुबंध को प्रदान करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में पूरे किए जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रगति आख्या के अनुसार, कार्य के प्रारम्भ और समापन की लक्षित तिथियाँ क्रमशः जनवरी 2011 और मार्च 2012 थीं। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक की लागत ₹ 1469.81 लाख थी और जनवरी 2011, अगस्त 2011 और फरवरी 2013 में क्रमशः ₹ 593.40 लाख, ₹ 583.91 लाख और ₹ 500 लाख (कुल ₹ 1677.31 लाख) की पहली, दूसरी और तीसरी किश्तों के माध्यम से कार्यदायी संस्था को धनराशि प्रदान की गई थी। कार्यदायी संस्था द्वारा केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक को दिसंबर 2018 में पूर्ण करके सौपा गया। इस प्रकार, छह वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी महाविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों तक परियोजना का लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि द्वितीय चरण में निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम की लागत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त ₹ 500 लाख की चौथी किश्त जारी (अप्रैल 2014) करने के उपरान्त भी, उसका कार्य अपूर्ण था। कार्यदायी संस्था को ₹ 500 लाख (मार्च 2016) और ₹ 141.55 लाख (अगस्त 2021) की 5वीं और 6वीं किश्त अवमुक्त किये जाने पश्चात यधपि कुछ अन्य कार्य, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, टाइप-4 आवास और ओवरहेड टैंक पूर्ण कर जुलाई 2020 में; और टाइप-I और टाइप-3 आवास पूर्ण कर मई, 2022 में हस्तांतरित कर दिये गये थे; छात्रों के छात्रावास, टाइप-2, टाइप-4 आवास और पंप हाउस के कार्य, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 11 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण (अगस्त 2023) थे जिसके कारण महाविद्यालय के छात्रों और शिक्षण संकायों को परियोजना से मिलने वाले लाभ या तो विलम्ब से पहुँचे या नहीं पहुँचे।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि फरवरी 2023 में ₹ 35.37 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है, फरवरी 2023 और नवंबर 2023 में क्रमशः ₹ 2.00 करोड़ और ₹ 3.41 करोड़ की सातवीं और आठवीं किश्तें कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी हैं और ऑडिटोरियम का कार्य प्रगति पर है। उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को संबोधित नहीं किया गया है और ऑडिटोरियम का कार्य अभी भी अपूर्ण है।

8.2.2 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

8.2.2.1 प्रयागराज में महाविद्यालय और संबद्ध भवनों का विलम्ब से निर्माण

शासन ने प्रयागराज में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के निर्माण के लिए ₹ 1567.10 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 1996) तथा ₹ 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। निर्माण कार्य के लिये भूमि कार्यदायी संस्था को माह जून 1997 में उपलब्ध कराई गई तथा अगस्त 1997 में कार्य प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात, व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा ₹ 1580.11 लाख का संशोधित अनुमान स्वीकृत किया गया (जनवरी 1998); और तदनुसार, शासन द्वारा ₹ 1580.11 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (मार्च 1998) तथा 1996-97 से 2006-07 की अवधि के दौरान ₹ 14.37[14] करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जो नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम (निर्माण निगम) को अवमुक्त कर दी गयी। निर्माण निगम ने ₹ 19.49 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया, जिसे व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 18.46 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया। शासन ने ₹ 18.46 करोड़ के संशोधित अनुमान पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2009)। वर्ष 2009-10 तक ₹ 18.46 करोड़[15] की संपूर्ण स्वीकृत लागत अवमुक्त होने के पश्चात भी निर्माण निगम कार्य को पूर्ण करने में पूर्णतः विफल रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की गई शिकायत की प्रतिक्रिया में, प्रमुख सचिव, डेयरी विकास द्वारा स्थलीय निरिक्षण के उपरांत कुछ संशोधन[16] का सुझाव (अगस्त 2014) दिया गया, और तदनुसार, निर्माण निगम ने ₹ 24.78 करोड़ [17] का एक संशोधित

---

[14] 1996-97: ₹ 150.00 लाख, 1997-98: ₹ 155.00 लाख, 1998-99: ₹ 150.00 लाख, 1999-2000: ₹ 82.50 लाख, 2000-01: ₹ 119.42 लाख, 2001-02: ₹ 166.62 लाख, 2002-03: ₹ 134.00 लाख, 2003-04: ₹ 133.50 लाख, 2004-05: ₹ 100.00 लाख, 2005-06: ₹ 80.00 लाख, 2006-07: ₹ 166.00 लाख, कुल: ₹ 1437.04 लाख

[15] दिसंबर 2019 में निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत सारांश के अनुसार, निर्माण निगम को ₹ 17.88 करोड़ प्रदान किए गए, भूमि क्रय के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को ₹ 20.00 लाख का भुगतान किया गया और व्यापार कर के लिए ₹ 25.24 लाख की कटौती की गई, जिसकी वापसी निदेशक, होम्योपैथी सेवाएं द्वारा ली जानी थी।

[16] यूनिट इंचार्ज ने बताया कि ले-आउट प्लान में टाइप-V के मकान बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, टाइप-I और टाइप-II क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि की समस्या थी, जिसके लिए प्रमुख सचिव ने टाइप-IV क्वार्टरों के सामने प्रस्तावित लॉन, टाइप-I क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रस्तावित 6 मीटर सड़क और सेटबैक का उपयोग करने और टाइप-II क्वार्टरों की दो मंजिला इमारत को चार मंजिला क्वार्टरों में बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने इमारत को समायोजित करने के लिए अन्य उपाय भी सुझाए।

[17] 2022 की दर अनुसूची और दिल्ली दर अनुसूची 2021 के आधार पर

अनुमान[18] प्रस्तुत किया (मार्च 2023)। शासन ने कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 24.32 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2023) और ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की (मार्च 2023)।

इस प्रकार, भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब और परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण अनुमोदन के लगभग 27 वर्षों बाद भी आपातकालीन ब्लॉक, टाइप-II और टाइप V क्वार्टरों का निर्माण पूरा नहीं हो सका; और लागत में (₹ 24.32 करोड़ - ₹ 15.67 करोड़)[19] ₹ 8.65 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, निर्माण निगम के साथ समझौता/अनुबन्ध निष्पादित न होने के कारण, कार्य पूर्ण करने में विलम्ब और अस्वीकृत कार्य के निष्पादन के लिए कार्यदायी संस्था पर कोई शस्ति अधिरोपित नहीं की जा सकी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है; कार्यदायी संस्था को काली सूची में डाल दिया गया है और प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है। संशोधित स्वीकृत लागत के सापेक्ष शेष राशि अवमुक्त होने के उपरांत कार्य पूर्ण हो जाएगा।

8.2.2.2 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में छात्रावासों एवं लेक्चर हॉलों के निर्माण में विलम्ब

छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से, शासन ने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के परिसर में निष्पादित किये जाने हेतु तीन निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2019), जिसका विवरण नीचे **तालिका 16** में दिया गया है:

तालिका 16: राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय, प्रयागराज में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

संख्या	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	4 लेक्चर हॉलों का निर्माण	262.16	91.76
2	अतिरिक्त बालिका छात्रावास का निर्माण	219.29	76.75
3	अतिरिक्त बालक छात्रावास का निर्माण	264.69	92.64
कुल योग		**746.14**	**261.15**

(स्रोत: राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज)

[18] विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों (सितंबर 2014) के अनुपालन में ₹ 29.71 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिसे कुछ विसंगतियों को इंगित करते हुए (मार्च 2017) वापस कर दिया गया था। निर्माण निगम ने टाइप-IV, टाइप-V (1 नंबर) के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 2020 की दर अनुसूची और दिल्ली दर अनुसूची 2019 के आधार पर 25.93 करोड़ रुपये (जनवरी 2019) और फिर 24.78 करोड़ के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए।

[19] जिसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मार्च 1996 में जारी की गई थी।

शासन ने प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (मार्च 2019)। 4 लेक्चर हॉल, अतिरिक्त बालिका छात्रावास, अतिरिक्त बालक छात्रावास के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) द्वारा क्रमशः ₹ 2.62 करोड़ (मई 2019), ₹ 2.19 करोड़ (मई 2019) और ₹ 2.64 करोड़ (मई 2020) की लागत पर प्रदान की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कार्यदायी संस्था द्वारा 4 लेक्चर हॉल के निर्माण को प्रारंभ और पूर्ण करने की लक्षित तिथियां क्रमशः 5 अक्टूबर 2019 और 4 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी थीं (पूर्ण होने की अवधि: एक वर्ष)। तथापि, कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी थी। इसके अतिरिक्त, यधपि शेष राशि ₹ 52.43 लाख और ₹ 104.85 लाख की दो किश्तों, क्रमशः जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में जारी की गई, कार्यदायी संस्था ने जनवरी 2023 में, अर्थात पूर्ण होने की लक्षित तिथि से दो वर्षों से अधिक विलम्ब और अंतिम किश्त जारी होने के एक वर्ष से अधिक विलम्ब के उपरांत भवन को पूर्ण कर हस्तानांतरित किया। तथापि, कुर्सियाँ न लगाए जाने के कारण 4 लेक्चर हॉल क्रियाशील नहीं थे, जिसके लिये एक प्रस्ताव[20] महाविद्यालय द्वारा होम्योपैथी निदेशालय को भेजा गया है (सितंबर 2023 और फरवरी 2024)। धनराशि की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है (सितंबर 2024)।

- कार्यदायी संस्था ने अतिरिक्त बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य को प्रारंभ और पूर्ण करने की लक्षित तिथियां क्रमशः 5 सितंबर 2019 और 4 सितंबर 2020 निर्धारित कीं। यद्यपि, शेष राशि ₹ 43.86 लाख और ₹ 87.72 लाख की दो किश्तों में क्रमशः जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में अवमुक कर दी गयी थी, कार्यदायी संस्था ने अगस्त 2022 में, 2 वर्षों के विलम्ब के उपरांत, भवन को पूर्ण कर हस्तानांतरित किया।

- कार्यदायी संस्था द्वारा अतिरिक्त बालक छात्रावास के निर्माण कार्य को प्रारम्भ और पूर्ण करने की लक्षित तिथियां क्रमशः 5 अक्टूबर 2019 और 4 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी थीं। यद्यपि शेष राशि ₹ 158.82 लाख (प्रतिभूति जमा का 5 प्रतिशत कटौती के पश्चात) अगस्त 2022 में अवमुक्त

[20] कार्यदायी संस्था द्वारा लेक्चर हॉल में एसी, हाईटेक सीसीटीवी, कैमरा, माइक सिस्टम, स्मार्ट बोर्ड विकलांग छात्रों के लिए लिफ्ट की स्थापना सहित टेबल-कुर्सी की व्यवस्था के लिए ₹ 120.88 लाख की राशि का एक आगणन तैयार किया गया, जिसे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज द्वारा सितंबर 2023 में और फिर फरवरी 2024 में निदेशक होम्योपैथी को प्रेषित गया। धनराशि की स्वीकृति प्रातिक्षित थी।

की गयी थी, कार्य पूर्ण होने की लक्षित तिथि से 2 वर्ष व्यतीत जाने के पश्चात् भी कार्य अपूर्ण (अप्रैल 2023) था।

इस प्रकार, छात्रों की वृद्धिगत संख्या को लेकचर हाल और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य समय पर प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज ने इसके लिए अनुरोध किया था (अक्टूबर 2019), लेकिन कार्यदायी संस्था ने अनुबंध/समझौता ज्ञाप निष्पादित नहीं किया। अनुबंध/समझौता ज्ञाप के अभाव में, कार्यदायी संस्था से कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने के लिए कोई शास्ति नहीं वसूली गयी।

शासन द्वारा (जनवरी 2025) बताया गया कि 4 लेक्चर हाल और बालिका छात्रावास का कार्य पूर्ण हो चुका है, बालकों के छात्रावास का कार्य हस्तानान्तरण की प्रक्रिया में है और लेक्चर हाल में फर्नीचर आदि के लिए आगामी बजट में निधि प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तथ्य यह है कि ये भवन काफी विलम्ब से बनकर तैयार हुये और लेक्चर हाल का निर्माण पूर्ण होने के दो वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरांत भी फर्नीचर की अनुपलब्धता के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाया।

8.2.2.3 हर्बल गार्डेन, लखनऊ में ऑडिटोरियम के निर्माण में निधियों का अवरोधन

निदेशक, होम्योपैथी और प्रधानाचार्य राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के अनुरोध पर निर्माण निगम ने हर्बल गार्डेन, लखनऊ में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एक ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य के लिए ₹ 1930.23 लाख का आगणन प्रस्तुत किया (अगस्त 2021)। परियोजना निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अगणित ₹ 1580.64 लाख की लागत के आधार पर शासन ने ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए ₹ 1580.64 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2021) और नामित की गई कार्यदायी संस्था (माह जनवरी 2021), निर्माण निगम को ₹ 395.16 लाख की पहली किश्त अवमुक्त की (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन का निर्माण केवल 10 प्रतिशत भूमि पर अनुमत था, जबकि 1000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम के लिए 3396.50 वर्गमीटर (हर्बल गार्डेन के कुल क्षेत्रफल 19418 वर्गमीटर का 17.49 प्रतिशत) क्षेत्र की आवश्यकता थी। कार्यदायी संस्था ने 700 लोगों की

बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम के लिए 1778.50 वर्गमीटर (हर्बल गार्डेन के कुल क्षेत्रफल का 9.16 प्रतिशत) भूमि को आवरित करते हुए ₹ 1580.63 लाख का विस्तृत आगणन तैयार किया (नवंबर 2021) और उक्त आगणन पर निर्माण निगम के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (नवंबर 2021)। शासन ने ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए ₹ 1475.73 लाख की संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2022)। कार्यदायी संस्था ने मात्र ₹ 10.00 लाख का व्यय किया तथा कार्य की वर्तमान (मई 2023) भौतिक प्रगति केवल 01 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, निर्माण निगम द्वारा त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करने, परियोजना निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विसंगतियों का पता न लगाने तथा उचित परीक्षण के बिना तकनीकी स्वीकृति जारी करने के कारण परियोजना प्रारम्भ नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, कार्यदायी संस्था के उदासीन रवैये के कारण भी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप 2 वर्षों से अधिक समय तक ₹ 3.95 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध रही तथा परियोजना के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्था को काली सूची में डाल दिया गया है, प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है और उक्त के सम्बंध में निर्णय होने के पश्चात् कार्य पूर्ण हो जाएगा। तथ्य यह है कि स्वीकृति और पहली किश्त जारी होने के पश्चात् लगभग 4 साल व्यतीत हो जाने के बावजूद ऑडिटोरियम का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई।

8.2.2.4 राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय और चिकित्सालय, वाराणसी का निर्माण

बजट मैनुअल का पैराग्राफ 174 (16) अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवहार्यता या उपयोगिता की पर्याप्त जांच किए बिना और उचित प्रारंभिक सर्वेक्षण किए बिना कार्यों के प्रारम्भ करने को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी में प्रशासनिक भवन, शैक्षिक भवन, पुस्तकालय, चिकित्सालय, 75 शय्याओं वाले बालक व 75 शय्याओं वाले बालिका छात्रावासों और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए ₹ 40.24 करोड़ की

स्वीकृति दी। शासन ने निर्माण निगम को उक्त कार्य के लिए कार्यदायी संस्था नामित (नवंबर 2021) किया, किन्तु बाद में परिवर्तित (दिसंबर 2021)[21] कर सी. एंड डी.एस. को कार्य दे दिया। कार्यदायी संस्था ने उक्त कार्य के लिए ₹ 47.73 करोड़ का प्रारंभिक आगणन प्रस्तुत किया (दिसंबर 2021)। निर्माण कार्य के लिए भूमि (5 एकड़) जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य आयुष सोसाइटी ने कार्यदायी संस्था के साथ एक समझौता निष्पादित किया (मार्च 2021); और दिसंबर 2021 व जून 2022 में क्रमशः ₹ 4.77 करोड़ और ₹ 4.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की। यधपि, भूमि से सम्बंधित विवाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश (जुलाई 2022) के कारण ₹ 3.58 करोड़ के कुल व्यय के उपरान्त कार्य रोक दिया गया (जुलाई 2022)। इसलिए, ₹ 4.00 करोड़ की दूसरी किश्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अयोध्या के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई (जून 2022)। परिणामस्वरूप ₹ 3.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्था द्वारा दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुये कि अयोध्या के प्रस्तावित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयमें ₹ 4.77 करोड़ की धनराशि समायोजित की जायेगी और निर्माण कार्य में मात्र ₹ 15.34 लाख व्यय किया गया है, विभाग को कोई हानि नहीं होगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था ने विभिन्न पत्रों[22] और उपभोग प्रमाणपत्र में ₹ 3.58 करोड़ का व्यय सूचित किया था।

8.2.2.5 महाविद्यालय में लघु औषधि निर्माणशाला के निर्माण में विलम्ब

राजकीय तकमील-उत-तिब्ब महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य और अधीक्षक के निर्देश (फरवरी 2020) पर, उत्तर प्रदेश निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ने महाविद्यालय के इल्म-उस-सैदला विभाग के आसपास रिक्त पड़ी भूमि पर लघु औषधि निर्माणशाला के निर्माण के लिए ₹ 0.76 करोड़ का आगणन प्रस्तुत किया (फरवरी 2020)। तदनुसार, शासन ने उत्तर प्रदेश निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड को कार्य के लिए कार्यदायी संस्था नामित

[21] परियोजना के लिए प्रस्तुत (नवंबर 2021) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर आपत्तियों को दूर करने में निर्माण निगम के असहयोग के कारण ।

[22] परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अभिकल्प सेवाएं के पत्र दिनांक 17.10.2023, महाप्रबंधक के पत्र दिनांक 17.01.2023

किया और निदेशक, यूनानी सेवाएं, लखनऊ को लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत् रूप से परीक्षित कार्य की लागत के आधार पर सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने कार्य की लागत ₹ 0.76 करोड़ निर्धारित की। तदनुसार, शासन द्वारा कार्य के लिये ₹ 0.76 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2021); और कार्य के लिये पहली किश्त के रूप में ₹ 0.38 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जो उसी माह कार्यदायी संस्था को दे दी गयी। 13 जनवरी 2021 को ठेकेदार के साथ अनुबन्ध पर भी हस्ताक्षर किये गये जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतिम किश्त अवमुक्त होने के छह महीने के भीतर कार्य को पूर्ण किया जाना सम्मलित था। उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 0.34 करोड़ की दूसरी और अंतिम किश्त स्वीकृत की (सितंबर 2023) जिसे कार्यदायी संस्था को नवंबर 2023 में ही अवमुक्त कर दिया गया। पहली किश्त जारी होने के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लघु औषधि निर्माणशाला का निर्माण कार्य अपूर्ण था जिससे छात्र यूनानी औषध-विज्ञान को सीखने से वंचित रह गये।

शासन ने पुष्टि की (जनवरी 2025) कि लघु औषधि निर्माणशाला का कार्य अगस्त 2024 में पूरा हो गया है। इसके हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

8.3 छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

छात्रों को गहन व्यावहारिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण[23] प्रदान करने के उद्देश्य से, स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों के लिये कम से कम 60 शय्याओं और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम 100 शय्याओं का प्रावधान करता है, जिसमें पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान औसतन 24 आंतरिक रोगी प्रतिदिन सम्मलित हों। इसी प्रकार, होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिये न्यूनतम 25 शय्याओं का प्रावधान करता है और एक कैलेंडर वर्ष के दौरान औसतन 60 प्रतिशत आंतरिक रोगी प्रतिदिन और विशेषज्ञता के प्रत्येक नैदानिक विषय के लिये एक अतिरिक्त शय्या सहित न्यूनतम 30 प्रतिशत आंतरिक रोगियों का प्रावधान करता है।

[23] लागू न्यूनतम मानक आवश्यकता में गहन अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है; तथा छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से रोगियों के प्रबंधन और उपचार की जिम्मेदारी लें।

तालिका-17 में दिए गए विवरण नमूना जाँच किये गये चिकित्सालयों में आवश्यक न्यूनतम आंतरिक रोगियों की संख्या और प्रतिदिन आंतरिक रोगियों की वास्तविक संख्या को इंगित करते है:

तालिका 17: नमूना जांचे गये चिकित्सालयों में अपेक्षित प्रतिदिन आन्तरिक रोगियों के सापेक्ष वास्तविक आन्तरिक रोगियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण

विवरण	पीलीभीत		बाँदा		प्रयागराज		मुरादाबाद		लखनऊ	
	स्नात0	परा स्नात0	स्नात0	परा स्नात0	स्नात0	परा स्नात0	स्नात0	परा स्नात0	स्नात0	परा स्नात0
प्रवेश क्षमता	50	6	60	-	100	10	100	-	60	30
कोटा	13	2	15	-	25	3	25	-	15	5
आवश्यक शय्याओं की संख्या	100		60		25		25		60	
शय्याओं की वास्तविक संख्या	100		60		38		25		110	
आपेक्षित रोगी / प्रतिदिन	40		24		7.5		7.5		40	
2018 से 2023 की अवधि के दौरान प्रतिदिन औसत आन्तरिक रोगी	3.85		0.80		3.66		3.85		1.35	

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त से पता चलता है कि सभी चिकित्सालयों में आन्तरिक रोगियों की संख्या पर्याप्त रूप से कम थी, जिसके कारण छात्रों को पर्याप्त रोगी-आधारित प्रायोगिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

- यद्यपि विच्छेदन कक्ष[24] उपलब्ध था, लेकिन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत को छोड़कर किसी भी नमूना जाँच किये गये चिकित्सालय में कैडावर(शव)[25] उपलब्ध नहीं था।
- अस्पतालों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय किसी भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में प्रसव अथवा सर्जरी का कोई प्रकरण नहीं था।

केस स्टडी

राज्य सरकार के कहने पर, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के शिक्षण चिकित्सालय भवन को कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को सौंप दिया गया था। हालांकि प्रधानाचार्य ने शिक्षण कार्य में व्यवधान का सन्दर्भ देते हुए अधिग्रहण का विरोध किया, जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2021) कि छह महीने पूरे होने के बाद, तैनात जनशक्ति को बीएमजीएफ द्वारा वापस ले लिया जाएगा और उपकरण आदि अस्पताल के पास ही रहेंगे। तथापि, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चिकित्सालय खाली नहीं किया (मार्च 2024)। रोचक बात यह है कि चिकित्सालय में कोई भी कोविड रोगी भर्ती नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा चिकित्सालय में 50-शय्या वाले चिकित्सालय/ट्रॉमा सेंटर की स्थापना (फरवरी 2025) के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव (दिसंबर 2022) को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक निजी एजेंसी द्वारा सरकारी भवन का उपयोग उचित नहीं था।

शासन ने आन्तरिक रोगियों की कम संख्या के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया (जनवरी 2025), सिवाय इसके कि कोविड महामारी और पास में एक पुल के निर्माणाधीन होने के कारण राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में भर्ती रोगियों की संख्या में कमी आई थी। शासन ने कैडावर (शवों) की कमी को भी स्वीकार किया और कहा कि आयुष चिकित्सकों को अन्तः शिरा द्रव चढाने की अनुमति न होने के कारण आयुष महाविद्यालयों में प्रसव और सर्जरी के मामले नहीं लिये जाते हैं; और आगे कहा कि उपकरणों, सर्जनों और कर्मचारियों की कमी के कारण राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में सर्जरी और प्रसव के मामले नहीं लिये जाते हैं। उत्तर छात्रों के लिये शल्यक्रिया सम्बन्धी

[24] चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में एक कमरा जहां छात्र मानव शरीर का विच्छेदन करके शरीर रचना के बारे में सीखते हैं।

[25] एक मृत शरीर जिसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा या अनुसंधान में किया जाता है।

परिस्थितयों से निपटने का प्रशिक्षण प्रदान करने में अंतर्ग्रस्त बाधाओं को दर्शाता है

8.4 अनुसंधान और अध्ययन

8.4.1 साक्ष्य आधारित अध्ययन

राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,लखनऊ को वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान अनियमित मासिक धर्म और साइटिका के उपचार पर साक्ष्य-आधारित अध्ययन के लिए क्रमशः ₹ 11.56 लाख और ₹ 30.00 लाख (कुल: ₹ 41.56 लाख) की धनराशि प्राप्त हुई। तथापि, यूनानी महाविद्यालय इस बजट का उपभोग करने में विफल रहा और अवमुक्त की गई सम्पूर्ण धनराशि 31.3.2023 को व्यपगत हो गई। इस प्रकार, अनियमित मासिक धर्म और साइटिका जैसे पीड़ादायक रोगों के साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और उपचार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

शासन ने निधियों के उपयोग न होने की बात स्वीकार (जनवरी 2025) की और बताया कि 29.03.2023 को निधि उपलब्ध कराई गई थी जिसका उपयोग 31.03.2023 तक किया जाना था, तथा जेम पर औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण बजट समर्पित कर दिया गया। उत्तर निधियों के अनुचित प्रबंधन को दर्शाता है।

8.4.2 अनुसंधान केंद्र

उत्तर एवं मध्य भारत के गठिया रोगियों को अनुसंधान आधारित गुणवत्तापूर्ण नैदानिक एवं चकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ को महाविद्यालय में गठिया के अनुसंधान एवं उपचार केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान की गयी।

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ को, गठिया अनुसंधान और उपचार केन्द्र की स्थापना की त्रिवार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिये ₹ 12.32 लाख[26], ₹ 13.93 लाख[27] और 14.30 लाख[28] (कुल: ₹ 40.55 लाख);

---

[26] कार्यालय व्यय: ₹ 140000, स्टेशनरी: ₹ 500, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण: 125000, औषधि तथा रसायन: ₹400000, अन्य व्यय: ₹ 565000, सामग्री और सम्पूर्ति: ₹ 500, कुल: ₹ 1231500।

[27] कार्यालय व्यय: ₹ 112000, स्टेशनरी: ₹ 40000, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण: 150000, औषधि तथा रसायन: ₹ 400000, अन्य व्यय: ₹ 566000, समग्री एवं सम्पूर्ति: ₹ 135000, कुल: ₹ 1393000.

[28] कार्यालय व्यय: ₹ 140000, स्टेशनरी: ₹ 50000, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण: 125000, औषधि तथा रसायन: ₹ 400000, अन्य व्यय: ₹ 565000, सामग्री एवं सम्पूर्ति: ₹ 150000, कुल: ₹ 1393000.

की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः ₹ 6.64 लाख (54 प्रतिशत), ₹ 8.33 लाख (60 प्रतिशत) और ₹ 4.36 लाख (30 प्रतिशत) कुल ₹ 19.33 लाख (48 प्रतिशत) की धनराशि का उपयोग[29] किया गया, जो यह दर्शाता है कि कार्य-योजना का आंशिक रूप से क्रियान्वयन किया गया था।

अवमुक्त की गई धनराशि में, वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में प्रत्येक वर्ष हेतु ₹ 5.65 लाख की धनराशि अन्य व्यय के लिये सम्मलित थी जिसका उपयोग रोगियों की आवधिक चिकित्सकीय और रोग संबंधी जांच में किया जाना था। रोगियों के इन आकड़ों का उपयोग भविष्य के शोध में किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए निधियों का उपयोग करने के बाद, कॉलेज ने क्रमशः ₹ 5.67 लाख (40 प्रतिशत), ₹ 5.60 लाख (46 प्रतिशत) और ₹ 9.94 लाख (70 प्रतिशत) की धनराशि समर्पित कर दी, जिसमें ₹ 5.65 लाख (100 प्रतिशत), ₹ 5.01 लाख (89 प्रतिशत) व ₹ 5.65 लाख (100 प्रतिशत) के अन्य व्यय के अव्ययित शेष सम्मलित थे। इस प्रकार, अन्य व्ययों पर किया गया व्यय लगभग शून्य था, जो दर्शाता है कि गठिया रोगियों का चिन्हांकन और परिक्षण तथा उनका साक्ष्य-आधारित उपचार नहीं किया गया। इस प्रकार, केंद्र की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि मुख्य शोधकर्ता की सेवानिवृत्ति और उसके परिणामस्वरूप 9 माह तक अनुसंधान कार्य बाधित रहने के कारण निधि का उपयोग नहीं हो सका, लेकिन लेखापरीक्षा में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर कोई उत्तर नहीं दिया।

8.5 केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदंडों का पालन न किये जाने के कारण प्रवेश क्षमता में कमी

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातक स्तरीय आयुर्वेद महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम आवश्यकता) विनियम, 2016 में प्रावधान है कि अधिनियम, 1970 की धारा 13 ए के अन्तर्गत स्थापित और धारा 13 सी के अन्तर्गत विद्यमान आयुर्वेदिक महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध चिकित्सालयों को संचालन की अनुमति देने पर विचार करने के लिये उन्हें अवसंरचना, शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकता को पूरा करना होगा। अनुमति की समाप्ति से तीन महीने पहले

[29] उपयोग की गई निधियों में कार्यालय व्यय (₹ 2.74 लाख), स्टेशनरी (₹ 0.20 लाख), कार्यालय एफ एंड ई (₹ 2.49 लाख), औषधि तथा रसायन (₹ 11.78 लाख), अन्य व्यय (₹ 0.65 लाख), और सामग्री एवं सम्पूर्ति (₹ 1.49 लाख) सम्मिलित हैं।

केंद्रीय परिषद स्वेच्छा से महाविद्यालय का निरीक्षण करेगी; और निरीक्षण की तिथि पर विद्यमान स्थिति को अनुमति देने के लिए ध्यान में रखेगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सशर्त अनुमति को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग [30] की विजिटेशन टीम द्वारा वार्षिक भ्रमण के भाग के रूप में बांदा और पीलीभीत के आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों का 9 और 10 मई 2023 को निरीक्षण किया गया। दल द्वारा पाया गया कि महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में गंभीर कमियाँ/विसंगतियाँ थीं, जिन्हें निम्न **तालिका-18** में दर्शाया गया हैं:

तालिका 18: बांदा और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के निरीक्षण में पाई गई विसंगतियों का विवरण

विवरण	पाई गई विसंगतियाँ	
	ललितहरि राजकीय स्नातकोत्तर, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत	**राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा**
शिक्षण स्टाफ	संस्कृत शिक्षक नहीं है, शल्य तंत्र और पंचकर्म विभाग में कोई शिक्षण संकाय नहीं है।	कोई योग शिक्षक नहीं, कोई बायोस्टैटिस्टिशियन नहीं और कोई संस्कृत शिक्षक नहीं
अस्पताल स्टाफ	15 चिकित्सालय कर्मचारियों की कमी थी।[31]	25 अस्पताल कर्मचारियों की कमी थी।[32]
विच्छेदन हॉल	शव उपलब्ध नहीं	शव उपलब्ध नहीं हैं
केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला/ पुस्तकालय	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं	लाइब्रेरी में कर्मचारियों और छात्रों के लिए अलग-अलग वाचनालय उपलब्ध नहीं हैं
प्रसव कक्ष	अक्रियाशील	अक्रियाशील
अन्य सुविधाएं	पशु गृह उपलब्ध, लेकिन क्रियाशील नहीं।	शिक्षण फार्मेसी की क्रियाशीलता की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, उपकरण

[30] 11 जून 2021 से प्रभावी हुआ जिसने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 को निरस्त कर दिया।

[31] रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (2), इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) (2), आईपी विभाग के लिए स्टाफ नर्स (6), फार्मासिस्ट (2), पैथोलॉजिस्ट (1), फिजियोथेरेपिस्ट (1), माइक्रोबायोलॉजिस्ट (1)

[32] आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (1), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (5), मैट्रन (1), आईपी विभाग के लिए स्टाफ नर्स (3), मेडिकल स्पेशलिस्ट (1), सर्जिकल स्पेशलिस्ट (1), प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (1), पैथोलॉजिस्ट (1), बाल रोग विशेषज्ञ (1), एनेस्थेसियोलॉजिस्ट (1), नेत्र रोग विशेषज्ञ (1), रेडियोलॉजिस्ट (1), दंत चिकित्सक (1), एक्स-रे तकनीशियन या रेडियोग्राफर (1), फिजियोथेरेपिस्ट (1), क्लिनिकल रजिस्ट्रार (1), पंचकर्म नर्स (1), पंचकर्म सहायक (2), नर्स (ओटी और क्षारसूत्र थेरेपी अनुभाग)।

विवरण	पाई गई विसंगतियाँ	
	ललितहरि राजकीय स्नातकोत्तर, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत	**राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा**
		क्रियाशील नहीं थे और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था।
अस्पताल की क्रियाशीलता	क्षारसूत्र ब्लॉक क्रियाशील नहीं।	न्यूनतम मानक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम 8 ओपीडी की आवश्यकता के सापेक्ष 5 की कमी। पंचकर्म ब्लॉक और क्षारसूत्र ब्लॉक क्रियाशील नहीं।

अतः, बोर्ड ने अनुमोदित सीट कटौती नीति[33] के अनुसार सशर्त अनुमति निर्गत करने का निर्णय लिया,जो कि निम्नानुसार है:

- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बाँदा में 16 अध्यापकों की कमी को देखते हुए, कुल प्रवेश क्षमता को 75 से घटाकर 40 सीट कर दिया (अगस्त 2023) तथा सशर्त अनुमति निर्गत की (अगस्त 2023)।
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत की प्रवेश क्षमता को घटा दिया तथा 63 स्नातक सीटों के स्थान पर 44 तथा आठ स्नातकोत्तर सीटों के स्थान पर पाँच के लिये सशर्त अनुमति निर्गत की (अगस्त 2023)।

इस प्रकार, न्यूनतम आवश्यकता मानकों को पूरा न करने के कारण कम से कम 57 छात्र महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सके जिसके परिणामस्वरूप उतनी ही सीमा तक व्यावसायिक रूप से योग्य आयुष चिकित्सकों की हानि हुई।

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि अपेक्षित मानक पूरे न होने के कारण कम सीटों की अनुमति दी गई तथा बताया कि संकायों को संबद्ध कर दिया गया है/संकाय के लिए अधियाचना उ०प्र० लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है, मानकों को पूरा करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं तथा कैडावर (शवों) उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी को अनुरोध भेजा गया है।

[33] भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 28 (1) (एफ) के अनुसार, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "प्रत्येक शिक्षक की कमी के लिए, कुल प्रवेश क्षमता को 5 प्रतिशत कम करके सीट कटौती पर विचार किया जाएगा"

संक्षेप में, नमूना परीक्षित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में शिक्षण संकायों (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा: 53 प्रतिशत, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत: 27 प्रतिशत, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद: 48 प्रतिशत, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज: 17 प्रतिशत) और सहायक कर्मचारियों (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा: 31 प्रतिशत, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत: 45 प्रतिशत, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ: 5 प्रतिशत) की कमी थी। चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय भवन, छात्रावास, आवासीय क्वार्टर आदि के निर्माण में देरी हुई। भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु राष्ट्रीय आयोग के मानदंडों और मानकों का पालन न करने के कारण, बांदा और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की प्रवेश क्षमता घटा दी गयी। अनुसंधान के लिए दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

अनुशंसा 15: आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार को आवश्यक संख्या में शिक्षण संकाय और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

अनुशंसा 16: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सा महाविद्यालय और सम्बन्धित भवन समयबद्ध तरीके से पूरे हों।

अनुशंसा 17: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के केंद्रीय आयोग और होम्योपैथी के केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए, ताकि चिकित्सा शिक्षा बाधित न हो।